भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2983

जिसका उत्तर 27मार्च, 2023 को दिया जाना है।

.....

हर खेत को पानी की सुलभता

2983. श्री नीरज डांगी:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्वरित सिंचाई योजना के तहत वर्ष 2023-2024 के दौरान सरकार द्वारा कितनी हेक्टेयर भूमि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत हर खेत को पानी की पहुंच (सुलभता) के लिए विस्तार करने की प्रक्रिया में है, यदि हां, तो कब तक;और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान पूरी की गई सिंचाई लाभ कार्यक्रम परियोजनाओं की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य खेत तक पानी की वास्तविक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्रफल में विस्तार करना, खेतों में जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, जल संरक्षण की स्थायी प्रणालियों को अपनाना आदि था।

बाद में, भारत सरकार द्वारा पीएमकेएसवाई के निरंतर कार्यान्वयन को दिसंबर, 2021 में वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है। इसमें, वर्ष 2021-26 के दौरान पीएमकेएसवाई के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) घटक के अंतर्गत 13.88 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जिससे प्रति वर्ष लगभग 2.77 लाख हेक्टेयर की औसत सिंचाई क्षमता का सृजन होगा।

(ख): भारत सरकार चिह्नित सिंचाई परियोजनाओं को तकनीकी सहायता प्रदान करके और अपनी चल रही स्कीमों के अंतर्गत आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। हालांकि, सिंचाई परियोजनाओं की योजना तैयार करना और कार्यान्वयन करना संबंधित राज्य सरकारों का दायित्व होता है, जिसे राज्य अपनी प्राथमिकताओं और संसाधनों की उपलब्धता आदि के अनुसार शुरू करता है।

इस मंत्रालय के अंतर्गत पीएमकेएसवाई-एआईबीपी एक चल रही स्कीम है, जो चिह्नित वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करते हुए सिंचाई क्षमता के सृजन पर केंद्रित करती है। वर्ष 2016-22 के दौरान पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत 24.47 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है।

(ग): पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरी की गई सिंचाई परियोजनाओं की कुल संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी: वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या

क्र.सं.	**राज्य/सं.रा.क्षे.**	**पूरी की गई सिंचाई परियोजनाओं की संख्या**
1	असम	1
2	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	2
3	कर्नाटक	1
4	मध्य प्रदेश	2
5	महाराष्ट्र	3
6	मणिपुर	1
7	ओडिशा	2
	कुल	**12**

*****